सं0सं0–1 / विविध–10 / 2019– 15 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनांक–14/01/2026

विषयः– **"विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 560.9374 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 515,00,00,000/– (रुपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम मद से रु0 20,00,00,000/– (रुपये बीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के सबंध मे कहना है कि विभागीय राज्यादेश स0–308(1), दिनांक–07.03.2019 द्वारा "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 560 9374 करोड के प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 मे कुल रु0 515,00,00,000/– (रुपये पॉच सौ पन्द्रह करोड) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम मद से रु0 20,00,00 000/– (रुपये बीस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2–इस योजना हेतु अब तक आवटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क0 स0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	आवटनादेश स0 एव दिनाक
1	2020–21	40.70.00.000	स0–33(1), दिनाक–15 01 2021
2	2023–24	5.00.00.000	स0–528(7), दिनाक–23 02 2024
3	2024–25	1.00.00.000	स0–47(7), दिनाक–27 05 2024
4	2024–25	60.00.00.000	स0–135(7), दिनाक–21 08 2024
5	2024–25	65.93.00.000	स0–308(7), दिनाक–23 12 2024
6	2024–25	30.15.00.000	स0–592(7), दिनाक- 28 03 2025
7	2025–26	15.00.00.000	स0–277(7), दिनाक–02 09 2025
8	2025–26	10.00.00.000	स0–353(7), दिनाक–06 10 2025
कुल योग–		**2,27,78,00,000/-**	

3– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स0–308(1), दिनाक–07 03 2019 मे निहित्त शर्तो के आधार पर किया जायेगा।

4– इस राशि के व्यय का वहन माग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–050–भूमि- 0103–नए चिकित्सा महाविद्यालय एव पारा मेडिकल सस्थान हेतु, विपत्र कोड–20–4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0103–53–01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे उपबधित/द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

5– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001के अन्तर्गत ledger ID मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

7– बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

8– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.06 एवं 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08, 2199/वि0, दिनांक–24.03.2017, 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9– प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

10– प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–1/विविध–10/2019 के पृष्ठ–..60/टि0 में प्राप्त है।

11– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

12– संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13– यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक–1/विविध–10/2019– 15 (7A)/स्वा0, पटना, दिनाक– 14/01/2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिलाधिकारी, बेगूसराय/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मत्री स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–7ए/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।